aforesaid Naphtha. For smooth operation of gas cracker, a decision has been taken to transfer Gas Authority of India Ltd.'s Gas Separation Plant at Lakwa to RAPL at a transfer price to be determined by Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP). RAPl has also recruited 65 technical personnels from the State of State of Assam who are undergoing training at Reliance Industries Ltd.

RAPL has informed that preparation of Detailed Project Report would require finalisation of feedstock related agreements. The project at an estimated cost of Rs. 3600 crores is expected to be commissioned in forty four months from the date of signing of Gas Supply Agreement and handing over of entire land required for the project.

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के निजी कर्मचारियों की नियुक्ति

4138. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गृह, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालयों और दिल्ली प्रशासन के बिक्री विभाग और लोक निर्माण के कर्मचारियों को रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के निजी स्टाफ में नियुक्त करने हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है, क्या मंत्री की निजी स्टाफ में उनकी नियुक्ति होने के कारण रिक्त हुए पदों पर अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है;

(ग) क्या मंत्री के निजी स्टाफ के कर्मचारियों के अपने-अपने विभागों में वापस आने पर उन्हें दिल्ली में पुनः तैनात किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण और औचित्य क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एन्के० पटेल): (क) से (घ) रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के कार्यालय में कार्यरत स्टाफ स्वीकृत पदों के अनुसार लिए गए हैं। ये कार्मिक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/तथा बाहर से आए हैं। ये नियुक्तियां राज्य मंत्रियों के कार्यालयों में स्टाफ की नियुक्ति हेतु नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार की गई हैं। ये नियुक्तियां रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री के कार्यालय के साथ सहसमाप्य आधार पर की गई हैं और ये सभी पदधारी रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री द्वारा पद त्याग देने के पश्चात् अपने-अपने मूल विभागों/कार्यालयों में वापस चले जाएंगे।

उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव

4139. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी:** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय को उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देने हेतु 30 अप्रैल, 1998 तक कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन प्रस्तावों पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनके द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और क्या उर्वरक उद्योग को बढ़ावा देने संबंधी इन प्रस्तावों को उन्होंने गंभीरता से लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रायल में राज्य मंत्री (डा० एन्के० पटेल): (क) से (घ) सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को जारी किए गए औद्योगिक नीति विषयक वक्तव्य के अनुसार उर्वरक परियोजनाओं के प्रवर्तकों द्वारा औद्योगिक लाइसेंस लेने की सामान्यतः आवश्यकता नहीं है। तथापि, उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों को अपनी प्रदत्त वित्तीय शक्तियों से अधिक पूंजी व्यय करने के पूर्व सरकार का अनुमोदन लेना होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सहकारी समितियों द्वारा तैयार किए गए और निवेश अनुमोदन हेतु सरकार को

प्रस्तुत किए गए प्रमुख उर्वरक परियोजना प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

क्र० सं०	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारी समिति का नाम	स्थान	अनुमानित पूंजी लागत (रु० करोड़)	परिकल्पित उत्पादन	
				उत्पाद (लाख मी०	क्षमता टन प्रतिवर्ष)
1.	कृषक भारतीय कोआपरेटिव लि० (तीसरी स्ट्रीम अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना)	हजीरा गुजरात	1131	यूरिया	7.26
2.	कृषक भारती कोआपरेटिव लि० (एफ० सी आई के मौजूदा स्थान पर नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र)	गोरखपुर उ०प्र०	1371	यूरिया	7.26
3.	इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लि० (ग्रासरूट)	नेल्लोर, आन्ध्र प्रदेश	569	यूरिया	7.26
4.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स (अमोनिया-यूरिया विस्तार परियोजना)	थाल, महाराष्ट्र	1229	यूरिया	7.26
5.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (यूरिया संयंत्र विस्तार परियोजना)	नांगल, पंजाब	127	यूरिया	1.48
6.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (अमोनिया यूरिया विस्तार संयंत्र)	पानीपत, हरियाणा	1301	यूरिया	7.26

नौवीं योजना के अंतिम वर्ष में नाइट्रोजन पोषक के लिए मांग पूर्वानुमानों तथा उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के आलोक में पुनः प्रतिपादित की जा रही क्षमता वृद्धि के लिए नीति को अन्तिम रूप देने के पश्चात् ये प्रस्ताव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निवेश अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

उन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं जिनके लिए निजी प्रवर्तकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आई ई एम) दायर किए गए हैं:

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	स्थान	परिकल्पित उत्पादन		आई ई एम दायर करने का वर्ष
			उत्पाद	क्षमता	
			(लाख मी० टन प्रतिवर्ष)		
1.	इण्डो गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स कार्पोरेशन लि० सुलतानपुर, उ० प्र०	भरूच गुजरात	डीएपी	3.00	1995
2.	रिलायन्स इंडस्ट्रीज बॉम्बे	जामनगर, गुजरात	यूरिया	30.00	1996
3.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, शाहजहांपुर उ० प्र०	बौद्ध, उड़ीसा	यूरिया	7.26	1996
4.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, शाहजहांपुर उ० प्र०	बौद्ध, उड़ीसा	डीएपी	15.00	1997
5.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, शाहजहांपुर उ० प्र०	जगतसिंहपुर उड़ीसा	डीएपी	16.50	1997